उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-05/2016/1160-II/62-2-2015-06एम0आई0/2015
लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी,2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री श्याम सिंह, वाहन चालक की नियम विरूद्ध गैप अरेन्जमेन्ट में तीन-तीन माह के लिए नियुक्ति करने एवं उ0 प्र0 सरकारी ड्राइवर से (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 में निर्धारित माप दण्डों का पालन न करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, मेरठ को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'7 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मामले की जॉच हेतु जॉच अधिकारी नामित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत मामले की जॉच एक माह में पूर्ण कर अपनी जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-05/2016/1160-II(1)/62-2-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य अभियंता/जॉच अधिकारी को अनुमोदित आरोप पत्र की दो प्रतियों में मयसाक्ष्य सहित इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति अपचारी अधिकारी को तत्काल तामील कराते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, मेरठ।
4- अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, मेरठ
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।
6- गार्ड फाइल।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in